

मध्यप्रदेश ग्रामीण सङ्करित विकास प्राधिकरण, खण्ड-2, पंचम तल, पर्यावास भवन, भोपाल
संशोधन पत्र

इस प्राधिकरण द्वारा प्रकाशित विज्ञापन संख्या 2 दिनांक 28/03/2011 में
एतद् द्वारा निम्न संशोधन किये जाते हैं –

- (1) क्रमांक 9 विलोपित किया जाता है एवं पूर्व का क्र. 10 अब क्र. 9 होगा।
- (2) क्र. 7 में सहायक ग्रेड II के प्रतिनियुक्ति से भरे जाने वाले पदों की संख्या 30 के स्थान पर अब 10 होगी।
- (3) क्र. 7 में सहायक ग्रेड II के संविदा से भरे जाने वाले पदों की संख्या निरंक होगी फलस्वरूप संबंधित Row अब विलोपित की जाती है।
- (4) क्र. 5 में “ सहायक प्रबंधक (वित्त, लेखा एवं अंकेक्षण) (संविदा) ” के समक्ष कालम 7 में संविदा नियुक्ति के लिए (सेवा निवृत्त अधिकारियों को छोड़कर) संविदा नियुक्ति की आर्हताओं में निम्न आर्हता जोड़ी जाती है –

“4. किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एम.काम. अथवा एम.बी.ए.
(फायनेन्स) उत्तीर्ण होना आवश्यक है।”

- (5) क्र. 10 (संशोधित क्र. 9) के समक्ष कालम 7 में अंकित निम्न वाक्य विलोपित किया जाता है –

“अथवा ग्रामीण विकास विभाग में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी।”

टीप : उपरोक्त विज्ञापन में विलोपित एवं संशोधित किये गये पदों/शर्तों के आधार पर प्रेषित किये गये आवेदन पत्रों को मान्य नहीं किया जावेगा।

महाप्रबंधक (प्रशासन)